



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)
F-2 (149)/RSLSA/DS-I/Family Welfare Committee/ 2017/438

Dated: 04.09.2017

कार्यालय आदेश


माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P., (Crl.) No- 2013 of 2017 (Rajesh Sharma & Ors- Vs- State of U-P- & Anr) में पारित आदेश की अनुपालना में राजस्थान प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिवार कल्याण समिति के गठन हेतु भेजे गये प्रस्तावों का अनुमोदन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F-2 (149)/RSLSA/DS-I/Family Welfare Committee/ 2017/ 432 Dated:- 31.08.2017 के द्वारा किया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला प्रतापगढ़ हेतु पूर्व में अनुमोदित नामों के स्थान पर निम्नलिखित नाम अनुमोदित किया जाता है साथ ही जिला राजसमंद हेतु पूर्व में अनुमोदित परिवार कल्याण समिति के अतिरिक्त निम्नलिखित दो समितियों के गठन की अनुमति दी जाती है-

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	अध्यक्ष का नाम	सदस्य का नाम
1.	प्रतापगढ़		श्री देवेन्द्र अहिवासी	1. श्रीमती निशा मीणा 2. श्रीमती संतोष शर्मा

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	अध्यक्ष का नाम	सदस्य का नाम
1.	राजसमंद		श्री बसन्तीलाल बाबेल	1. श्री हरक लाल बापना 2. श्रीमती संतोष स्वामी
			श्री भरत कुमार दक	1. डॉ बृजलता चौधरी 2. श्री महेन्द्र सिंह सुराणा

परिवार कल्याण समिति का कार्यकाल गठित होने की दिनांक से 2 वर्ष तक होगा। उक्त समितियों का गठन सात दिवस में करके इस कार्यालय को सूचित करने के लिए आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 4.09.2017 को माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त द्वारा जारी किया जाता है।


(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

F-2 (149)/RSLSA/DS-I/Family Welfare Committee/ 2017/18753-18796

Dated: 4.09.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. पूणकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
5. उप-सचिव प्रथम/ उप-सचिव द्वितीय/ उप-सचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
6. उप-सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
7. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।


(निहाल चंद)

उप-सचिव-प्रथम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर